उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता के संबंध में राष्ट्रीय-उत्पादकता परिषद की सिफारिशें

4431. **श्री ईश दत्त यादव: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय और विशिष्ट आर्थिक समस्याओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को अपेक्षाकृत कम प्रति वयकित वित्तीय सहायता देने की सिफारिश की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यवार, कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन की अनदेखी करती रही हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) जी, नहीं। यह परिकल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य का राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् का उल्लेख करने से तात्पर्य राष्ट्रीय विकास परिषद् से है।

(ख) 1989-90, 90-91 और 91-92 के लिए वार्षिक योजना तैयार करते समय आवंटित राज्यवार सकल केन्द्रीय सहायता संबंधी एक विवरण संलग्न है। **[नीचे देखिए]**

(ग) सम्भवतः माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य के विकास से संबंध में उल्लेख कर रहे हैं जिसे प्रति व्यक्ति आय द्वारा सूचित किया जाता है। 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के लिए ऐसे सूचकों से जिन के लिए नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं, पर्याप्त वृद्धि का पता चलता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। दिसम्बर, 1991 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मूले में प्रति व्यक्ति आय द्वारा निर्दिष्ट जनसंख्या और पिछड़ेपन के लिए अधिभार को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर कुल 35 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे उत्तर प्रदेश राज्य को लाभ हुआ है।

विवरण

राज्य (केन्द्रीय सहायता का आवंटन)	1989-90, 1990-91 और 1991-92		
I. विशेष श्रेणी राज्य			
1. अरुणाचल प्रदेश	141.26	152.56	235.00
2. असम	621.91	629.28	751.45
3. हिमाचल प्रदेश	190.96	206.24	258.19
4. जम्मू और कश्मीर	518.24	559.70	715.68
5. मणिपुर	134.72	145.50	195.15
6. मेघालय	129.81	140.19	178.04
7. मिजोरम	83.87	90.58	152.00
8. नागालैंड	105.06	113.47	165.21
9. सिकिम्म	60.53	65.37	88.41
10. त्रिपुरा	143.97	155.49	195.66
जोड़-I:	2130.33	2258.38	2934.79
IIÃ गैर-विशेष श्रेणी राज्य			
1. आंध्र प्रदेश	426.56	446.20	544.36
2. बिहार	613.63	641.24	782.31
3. गोवा	100.00	100.00	44.50
4. गुजरात	193.27	201.97	234.23
5. हरियाणा	77.57	103.02	118.11
6. कर्नाटक	225.00	235.13	270.25
7. केरल	252.58	263.95	301.00
8. मध्य प्रदेश	413.48	432.50	518.30
9. महाराष्ट्र	337.52	353.71	380.31
10. उड़ीसा	271.20	283.40	342.55
11. पंजाब	81.91	115.67	174.57
12. राजस्थान	329.54	344.37	382.81
13. तमिलनाडु	364.49	404.70	450.17
14. उत्तर प्रदेश	856.20	894.73	1091.57
15. पश्चिम बंगाल	298.72	312.58	381.35
जोड़-II:	4441.67	5132.17	6016.39
जोड़ (I+II):	6972.00	7390.55	8951.18

टिप्पणी— ऊपर दिये गये आंकड़े संबंधित वर्गों के वार्षिक योजना परिव्ययों के बारे में अनुमोदन पत्रों के भाग के रूप में वित्तपोषण योजनाओं संबंधी विवरणों के अनुसार है।